नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 205.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ज्येष्ठ लेखाकार	1* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. वेतनमान में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस.एल.यू.एस.आई.) की श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा, जिसने उस श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर, कृषि और सहकारिता विभाग और इसके सम्बन्ध तथा अधिनस्थ कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक या सदृश पद धारण करने वाले व्यक्ति जिनको 5 वर्ष का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) से प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा **प्रतिनियुक्ति :** कृषि और सहकारिता विभाग इसके सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों या सदृश्या पद धारण करने वाले व्यक्ति जिसका काडर में 5 वर्ष का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (क) मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —अध्यक्ष (ख) मुख्यालय के कार्यालय प्रधान, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण —सदस्य (ग) भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण के किसी केंद्र का कार्यालय प्रधान —सदस्य (घ) कृषि मंत्रालय के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अवर सचिव —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 16-1/2014-एनआरएम-II]

एस.एन. मीना, उप सचिव

New Delhi, the 11th September, 2014

G.S.R. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organization (Senior Accountant) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, in the Ministry of Agriculture, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Senior Accountant) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post and, its classification, the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc. .—The method of recruitment , age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard .

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Senior Accountant	1* (2014) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 + grade pay Rs. 2800	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
100 Percent by promotion failing which by deuptation.	Promotion from the grade of Uuper division Clerk, Soil and Land Use Survey of India (SLUSI) in the scale of Rs. 5200-20200 with Grrade Pay Rs. 2400 with a minimum period of 5 years service in the grade, failing which by transfer on deputation from Upper Division Clerk or analogous post in the Department of Agriculture and Cooperation and its attached and subordinate offices wtih 5 years experience in the cadre (Deputation period ordinarily not exceeding 3 years). **Deputation:** Upper Deivision Clerk or analogous post in the Department of Agriculture and Cooperation and its attached and subordinate office with 5 years experience in the cadre. (Deputation period ordinarily not exceeding 3 years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotlion :- (a) The Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman (b) Head of the Office of Headquarters, Office of Soil and Land Use Survey of India —Member (c) Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member (d) Under Secreatary of Natural Resources Management Division of Ministry of Agriculture —Member	Union Public Service Commision Consulation is not necessary.

[F. No. 16-1/2014-NRM-II]

S.N. MEENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 206.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कृषि उद्यान संस्थान भर्ती नियम 2007 को, जहॉ तक उसका संबंध फील्ड सहायक और आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, (समह 'ग' पद) भर्ती नियम तारीख 19 मार्च, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, केन्द्रीय कृषि उद्यान संस्थान, मेडज़ीफेमा कैम्पस, दीमापुर, नागालैण्ड फील्ड सहायक और आशुलिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।